HOUSING BOARD
HARYANA

आवास बोर्ड हरियाणा

2018 – 2019 के वार्षिक खाते तथा तुलन पत्र

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

2018-19 के वार्षिक खाते

सूचकांक

क्रम सं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	1-6
2.	तुलन पत्र	7
3.	आय एवं व्यय खाता	8-9
4.	तालिका - 1 पूंजीगत निधि	10
5.	तालिका - 2 रिजर्व और अधिशेष	10
6.	तालिका - 3 असुरक्षित ऋण	11
7.	तालिका - 4 चालू देयताए एवं प्रावधाान	11
8.	तालिका - 5 स्थाई परिसम्पत्तियां (मुख्यालय)	12
9.	तालिका - 5क स्थाई परिसम्पत्तियां (टेकनीकल)	13
10.	तालिका - 6 चालू सम्पत्तियां	14
11.	तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम	15
12.	तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां	16-17

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2019 तक के सलंग्न तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति एव भुगतान आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा, हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के साथ पठित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत की है। ये वित्तीय बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बेहतर लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धिात केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह- निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, की अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तिया: पृथकन: निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियों भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :
   i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
   ii) हमारे प्रतिवेदन से संव्यवहारित लेखाओं (तुलन-पत्र-तथा व्यय लेखा) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया है।
   iii) हमारे मत में हरियाणा आवास बोर्ड, अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य संबधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए है।जो ऐसी बहियों में हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
   iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

1. तुलन पत्र :

1.1 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-4) 558.74 करोड़ रूपये

वर्तमान देयताएं - 541.13 करोड़ रूपये

विविध देयताएं - 211.84 करोड़ रूपये

उपरोक्त राशि लम्बित चैकों को निस्त्रीकरण न करने के कारण 0.18 करोड़ रूपये कम दर्शाई गयी है (जनवरी 2019 से पहले काटे गये चैंको का भुगतान के लिए प्रस्तुत न करना) जब यह सारे चेंक समय अवधि पार कर गये थे तो सम्बधित राशि को लेखा पुस्तकों में वापिसी करना चाहिए था। इसके कारण बैंक का शेष और देनदार 0.18 करोड़ रूपये से कम दर्शाये गये है।

1.2 वर्तमान देयताएँ एव प्रावधान (अनुसूची: 4) 558.74 करोड़ रूपये

प्रावधान :- 17.60 करोड़ रूपये

उपरोक्त में ये सम्मलित नहीं है:

(i) 7वें वेतन आयोग के कार्यन्वयन होने पर बोर्ड कर्मचारियों के वेतन का बकाया देने के लिए 1.31 करोड़ का प्रावधान (1.1.2016 से 31.3.2019 तक)

(ii) माननीय उच्च न्यायलाय के 6.10.2016 के आदेशनुसार बोर्ड के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अक्टूबर 2016 से मार्च 2019 तक के स्थाई चिकिस्सा भत्तो का 0.54 करोड़ रूपये का प्रावधान

इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानो में 1.85 करोड़ रूपये का अवकथन और व्यय से आय का अतिकथन हो गया है।

2. परिसम्पत्तियाँ

2.1 स्थाई टैक्नीकल परिसम्पतित्तयाँ (अनुसूची 5 क) : 1928.47 लाख रूपये

कार्यालय खण्ड एव छात्रवास भवन: 442.94 लाख रूपये

स्थाई परियम्पतित्तयों में कार्यालय खण्ड और छात्रावास भवन की 4.43 करोड़ रूपये की कीमत मुल्य ह्रास के पश्चात दर्शायी गई है। फिर भी जिस भूमि पर यह भवन बनाया गया है उसको वित्तिय खातों में नही दर्शाया गया है यहाँ तक इसकी वास्तविक कीमत भी जब की यह बोर्ड की सम्पत्ति है।

2.2 वर्तमान परिसम्पत्तिया (अनुसूची 6) : 1750.10 करोड़ रूपये

विविध-देनदार- 335.99 करोड़ रूपये

विविध देनदारों में पार्टियों से पांच से अधिक वर्षो से पुराने देनदारों की 3.51 करोड़ रूपये की राशि सम्मलित है जिनके लिए 0.03 करोड़ का संदिग्ध एवं डूबते ऋण हेतु प्रावधान किया हुआ है। बोर्ड ने 2002-03 से 2017-18 के लेखा प्रतिवेदनो में बार बार टिप्पणी किये जाने के बाबजूद इस सम्बंध में उचित प्रावधान हेतु नही देखा गया।

(ii) वित्तिय खातों में दर्शायें गये सभी देनदार असमाधानित एवं अपुष्ट है। बोर्ड द्वारा सभी अलाटियो के लिए

बनाये गये खाते पूर्ण नहीं है जिससे उनके शेषों की पुष्टि एव मिलान के अभाव में शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले आकडों का शुद्धता का लेखा परीक्षा में सत्यपन नहीं किया जा सकता। इसके पिछले वर्षो की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बाबजूद इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्य नहीं किया है।

2.3 चालू परिसम्पत्तियाँ (अनुसूचि-6)

भूमि लागत - 382.24 करोड़ रूपये

भुगतान राशि - 231.78 करोड़ रूपये

उपरोक्त राशि में 25.20 करोड़ रूपये में से 9.59 करोड़ रूपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को आवास बोर्ड में विभिन्न स्कीमों के पजीकरण हेतु भूमि की लागत के रूप में जमा करवाये हैं। एक एजेण्डा जो कि बोर्ड की 210वीं मिंटिग में रखा गया था जिसमे कैथल, पलवल, फरीदावाद एव सोनीपत में भूमि जिसका कब्जा विभिन्न कारणों के कारण नही लिया जा सका था, को वापिसी के लिए रखा गया थी जिसको बोर्ड ने पास भी कर दिया था।

बोर्ड एव मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के टाऊन एव कण्टरी प्लांनिग विभाग ने भी इन जमीनों की वापिसी हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से धन वापिसी की प्रतीक्षा में है। जैसा कि यह विषय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संज्ञान में है तो इस बारे में सक्षिप्त टिप्पणी अनुसूचि 8 में महत्व पूर्ण लेखा नित्तियो में दर्शायी जानी चाहिए।

2.4 150.46 करोड़ रूपये की लम्बित भूमि लागत को स्कीमों में बाँटना:-

उपरोक्त देय राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 31.03.2019 को लम्बित भूमि लागत में दर्शायी गई है। इसमे भूमि लागत की देय किस्त के भुगतान से अखिरी दिनांक तक का ब्याज सम्मलित नही है। देय ब्याज का प्रावधान न करने से भूमि लागत का आवंटन व विविध लेनदारों का 63.05 करोड़ रूपये का अवकथन हुआ है।

2.5 नकद और बैक जमा

बैक जमा (मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय) 27.46 करोड़ रूपये

रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंको में जमा राशि का बैक की किताबों के साथ मिलान किया गया है। यद्यपि रोकड़ पुस्तक और बैक पास बुक के 0.10 करोड़ रूपये के अन्तर को बैक प्रभार खर्च मान लिया गया है पर इन खर्चो को आय व व्यय खाते में व्यय के रूप में नही दर्शाया गया है।

इस प्रकार तुलन पत्र में बैंक में जमा राशि ठीक नही दर्शायी गई है जिनका सुधार आवश्यक है।

2.6 बिना विक्री के 808.86 करोड़ रूपये का आवासीय भण्डार

उपरोक्त शेष में बोर्ड द्वारा पिछले वर्षो में बेचे गये आवासीय भण्डार शामिल है जिनका अब आंवटियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। चूकि आत्मसमर्पण घर बिक्री वापिसी है, इस लिए इन्हे मूल लागत पर बुक किया जाना चाहिए था जिन पर इसका निर्माण किया गया था और बिक्री के लिए पहले पारित प्रविष्टयो को उलट किया जाना चाहिए था और जब्त की गई राशि को बोर्ड की आय के रूपये में माना जाना चाहिए था। इसके अलावा

आत्मसमर्पण किए गयें घरों/ एस सी ओं/ दुकानों के अन्तिम स्टॉक की लागत या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो दिखाया जाना चाहिए था।

इस सदर्भ में खातों और लेखाकन नितियों का नोट 10 (अनुसूची 8) पर ध्यान देने के लिए आंमत्रित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि बिना ब्रिकी आवास स्टाक का लागत पर मुल्याकन किया गया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण किए गए घरों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है।

फिर भी बोर्ड ने घरों / एस सी ओ / दुकानों की लागत को बिक्री मूल्य में से जब्त राशि कम करके दर्शाया है। 95 मामलों में जहाँ घरों / एस सी ओ / दुकानों की लागत की ब्रिकी मूल्य में से जब्त राशि कम करके दर्शया गया है जिसके परिणामस्वरूप सरेडर मूल्य में से बिक्री मूल्य की लागत से अधिक है।

इस गलत उपचार के परिणाम स्वरूप बेचे गये हाऊसिंग स्टाक के साथ-साथ रिजर्व और अधिशेष को भी 7.23 करोड़ रूपये से अतिकथन हुआ है।

इस विषय पर 2017-18 से पहले भी टिप्पणी कि गई थी पर फिर भी बोर्ड ने कोई कार्यवाही नही की है।

3 अनुसूची 8 लेखा नित्तियाँ एव लेंखो पर टिप्पणियाँ

लेखा नित्तियों एव लेखों पर टिप्पणियों के बिदु 5 के अनुसार मकानों की बिक्री का लाभ व हानि लागत मुल्य व बिक्री मूल्य के अन्तर को दर्शाता है। फिर भी आंबटन की शतों के अनुसार घरो का हस्तांतरण अधिकतम ब्रिकी के आधार पर किया जाता है और जिस लागत पर घर एक बार बेचा जाता है तो उसकी कानविंयस डीड खरीद के 13 वर्ष के उपरांत या सारे बकाया देने के बाद की जाती है। परन्तु बोर्ड ने इस प्रकार की प्रविष्टी को मकानों की अलाटमेंट को बिक्री में अंकित किया है। इस वास्तविकता को बोर्ड ने लेखा नितिया एव टिप्पणीयों में नही दर्शाया है और इस प्रकार टिप्पणी में यह कमी है।

4 सामान्य

4.1 चालू परिसम्पत्तियों में 150.46 करोड़ रूपये भूमि लागत की लम्बित आंवटन के सम्मलित है। इसमें हांसी सेक्टर 5 के इ. डब्लयु, एस समूह आवासीय स्कीम के जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को देय 35.71 करोड़ है भी सम्मलित है। यह राशि झगड़े में है क्योंकि विकास प्रधिकरण ने 4798.90 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बढ़ी हुई भूमि क्षतिर्पूति राशि की मांग कर रखी है जबकि यह भूमि 300 रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवास बोर्ड को आवांटिग की जा चुकी है। इसकी वास्तविकता को लेखो की टिप्पणियों में नही दर्शाया गया है।

4.2 2018-19 की अनुसूची 7 में दर्शाये गये 63.49 करोड़ रूपये ऋण एव अग्रिम राशि के थे जो कि असमाधनित तथा अप्रष्ट थे जिनके अभाव में दर्शाये गये आकडों की शुद्धता का लेखा परीक्षा में सत्यापन नही किय जा सका।

4.3 2018-19 की चालू परिसम्पत्तियों (अनुसूची-8) में 150.46 करोड़ रूपये की राशि लम्बित भूमि लागत के लम्बित निपटारे हेतु दर्शायी गयी है। जिसका अभी उपयोग नही हुआ है इस भूमि से सम्बधित सम्पति रजिस्टर नही बनाया गया है।

सी. अनुदान सहायता

इस साल बोर्ड ने कोई भी अनुदान सहायता प्राप्त नही की है।

डी : प्रबन्ध पत्र

कमियां जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई है, उपचारात्मक एव सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अलग से जारी प्रबन्ध-पत्र के माध्यम से आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के ध्यान में लाई गई है।

ई. खर्चे से अधिक आय की रिपोर्ट पर उपरोक्त टिप्पणी से 1.085 करोड़ बनता है अगर ये खातो में सम्मलित किया जाता तो 9.70 करोड़ रूपये अधिक दर्शायी गई राशि घट कर 7.85 करोड़ रह जाती है।

एफ. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई अभ्युक्तियों के आधीन हम सूचित करते है कि इस प्रतिवेदन से सव्यवहारिव तुलन पत्र तथा आय एव व्यय खातें लेखा वहियों से मेल खाते है।

जी. हमारे मत में तथा हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में वर्णित उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों तथा अन्य मुद्दों के अध्यधीन तथा लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठिन कथित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है।

(क) जहां तक यह 31 मार्च 2019 को आवास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के कार्यो की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है,

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अधिक्य से संबंधित हैं।

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : चण्डीगढ

दिनांक : 19.07.2021

हस्ता,

विशाल बंसल

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हरियाणा, चण्डीगढ़

'प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।'

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के वर्ष 2018-19 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रें में कमी पाई गई थी :

ए) ऋण और अग्रिमों के लिए वित्तीय आंकड़े, विविध देनदार, सुरक्षा जमा, कर्मचारियों पर देय राशि, पंजीकरण जमा, आबंटियों के अन्य जमा, अग्रिम धन और ठेकेदारों की सुरक्षा कटौती और अन्य डेबिट और क्रेडिट वित्तीय आंकडे अपुष्ट और असमाधानित थे।

बी) बोर्ड ने कोई लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं की है।

सी) नकद स्टॉक और अन्य कीमती सामानों से निपटने वाले कर्मचारियों के कर्तव्यों से बदलने की कोई प्रणाली/योजना नहीं है।

डी) बोर्ड को नकद और शेयर जैसे कीमती सामानों को संभालने वाले कर्मचारियों से कोई सुरक्षा जमा/निष्ठा गारंटी प्राप्त नहीं हुई है।

ई) भूमिगत संपत्तियों और भवन के लिए शीर्षक कार्यों की संपत्ति रजिस्टर/सूची बोर्ड द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

एफ) बोर्ड ने अग्रिम के समायोजन हेतु कोई भी कार्य प्रणाली/नियम नही बनायें जिससे इसकी वसूली हो सके या इसकी जाँच पडताल के बाद समाप्त (राईट आफ) कर दिय जाये।

3. स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन 28.02.2019 से 15.03.2019 किया गया था।

4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन बोर्ड द्वारा 28.02.2019 से 15.03.2019 किया गया था।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड समय पर सविधानिक देयों को सम्बधित विभागो में जमा करने में नियमित था।

हस्ता.

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एम.जी. - IV)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

31 मार्च 2019 का तुलनपत्र

विवरण	तालिका	31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
देयताएं			
पूंजीगत निधि	1	4177736531	4080716679
रिज़र्व और अधिशेष	2	3735795127	3630795127
असुरक्षित ऋण	3	4837710265	4577045596
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	5587373503	5983995803
कुल जोड़		**18338615426**	**18272553205**
परिसम्पत्तियां			
स्थाई परिसम्पत्तियां	5 & 5A	202575296	219397966
चालू परिसम्पत्तियां	6	17501088300	17374309433
कर्ज तथा पेशगियां	7	634951830	678845806
कुल जोड़		**18338615426**	**18272553205**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 8
वित्तीय विवरणों पर नोट्स

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस
चार्टड एकाऊटैंटस
(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं॰ 002783 एन)

(सी॰ ए॰ राजेश मल्होत्रा)
पार्टनर
एम॰ नं॰ 090661

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
सन्दीप जोशी	डॉ. शालीन, आई.ए.एस.	राजेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष	मुख्य प्रशासक	मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला
दिनांक : 23.10.2019

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

वर्ष 2018-2019 का आय एवं व्यय खाता

खर्चे	31.3.2019 के आंकडे	31.3.2018 के आंकडे	आय	31.3.2019 के आंकडे	31.3.2018 के आंकडे
वेतन	186774828	206564365	विभिन्न फामों की बिक्री	2696795	729374
ई.पी.एफ	14109931	15282192	जुर्माने (अलोटी)	15404349	10999586
चिकित्सा व्यय	2368216	931533	इन्लिस्टमैंट शुल्क	66000	84437
मानदेय	1253105	1388400	कॉलोनियों की बीमा खर्चों की वसूली	1912521	1690730
ग्रेच्युटी	5000000	8634334	प्रोसेसिंग एवं स्थानातरंण प्रभार	25397100	11910262
अवकाशीय यात्रा रियायत	3619445	6409378	मकान किराया कटौती	2130020	281671
यात्रा व्यय (स्टाफ)	1919488	1825267	एच.पी.टीए. फार्म की फीस	26659	42845
बिजली पानी का व्यय	2764400	2464508	किराया प्राप्ति	8597604	2531083
मनोंरजन व्यय	273615	265256	रजिस्ट्रेशन राशि जब्त	3730991	26809350
कानूनी व्यय	1568260	1548479	देख-रेख व्यय की प्राप्ति	31000	9500
किराया	468656	905723	विभिन्न प्राप्तियां	9626410	2790784
अखबार व्यय	48734	45297	आय से व्यय का आधिक्य	231333203	238230846
डाक का व्यय	731742	681340			
लेखन व छपाई	1783239	1186458			
स्टाफ कार/जीप खर्च	3702281	3914699			
बिज्ञापन	5918432	5333484			
मुरम्मत व्यय	602263	908533			
स्टाफ वेलफेयर	308986	408679			
अनुदान	300000	325000			
विभिन्न खर्चे	2009629	1407647			
वाहन खर्चे	19272	21958			
टेलीफोन व्यय	835571	700038			
फोटोस्टेट व्यय	364779	285730			
प्रशिक्षण शुल्क	137000	19500			
ऑडिट फीस	272940	0			
गेस्ट हाऊस के रख-रखाव पर खर्च	740027	796846			
मूल्य हास	19395040	15405026			
कम्पयूटर खर्चे	355033	443089			
कार्यालय भवन रखरखाव पर खर्चे	1487481	567430			
नई पैंशन स्कीम	405983	222959			
स्टाफ क्वार्टर के रखरखाव खर्चे	3300017	1123818			
परामर्श फीस	211810	269755			
हाऊसिंग कालोनियों का बीमा शुल्क	406695	412915			
सेवा कर	0	485497			
स्वच्छ भारत सैस	0	17339			
कृषि कल्याण उपकर	0	17339			
मैंन पावर आपूर्ति सेवाएं	37350526	14130364			
आई.टी. साफ्टवेयर खर्चे	106428	329593			
एच.पी टी. ए. फार्मों की लागत	0	13500			
लाभ/प्रशासनिक शुल्क की राहत	38800	417200			
कुल जोड़	**300952652**	**296110468**	**कुल जोड़**	**300952652**	**296110468**

आय से व्यय का आधिक्य	231333203	238230846	ब्याज प्राप्ति अलाटियों से	320909049	312422479
दिया गया ब्याज	147462675	61629263	ब्याज प्राप्ति अन्यों से	31104428	7704127
आयकर के लिए प्रावधान	99404436	152161372	मकानों की बिक्री से लाभ/हानि	307913763	329422231
पिछले वर्ष का आयकर	0	3743783	बूथ और मकानों की निलामी से आय	16549406	64397322
दूसरे दायित्वों के निपटारे हेतू खर्च	105000000	134200000	आयकर के लिए अतिरिक्त प्रावधान की वापिसी	3743520	0
व्यय से आय का आधिक्य	97019852	123980895			
कुल जोड़	**680220166**	**713946159**	**कुल जोड़**	**680220166**	**713946159**

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस
चार्टड एकाऊटैंटस
(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं॰ 002783 एन)

(सी॰ ए॰ राजेश मल्होत्रा)
पार्टनर
एम॰ नं॰ 090661

हस्ता.
सन्दीप जोशी
अध्यक्ष

हस्ता.
डॉ. शालीन, आई.ए.एस.
मुख्य प्रशासक

हस्ता.
राजेश कुमार गुप्ता
मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला
दिनांक : 23.10.2019

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 1

पूंजीगत निधि

विवरण	31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4080716679	3956735784
जमा : चालू वर्ष में व्यय से आय का आधिक्य	97019852	123980895
कुल जोड़	**4177736531**	**4080716679**

तालिका - 2

रिज़र्व और अधिशेष

विवरण	31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
विभिन्न दायित्वों के भुगतान हेतु आरक्षित कोष	3735795127	3630795127
कुल जोड़	**3735795127**	**3630795127**

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 3

असुरक्षित ऋण

विवरण	31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
HUDCO से ऋण	2057543667	2329801000
एन.एच.बी. से ऋण	806080000	968000000
पी.एन.बी. से ऋण	480000000	0
एच.डी.एफ.सी. से कार्यशील पूंजी	496087598	439294596
HARCO बैंक से कार्यशील पूंजी	997999000	839950000
कुल जोड़	**4837710265**	**4577045596**

तालिका - 4 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
ए) चालू देयताएं		
प्रोस्पोक्टिव खरीददारों का जमा पंजीकरण	2509242731	2480398822
ठेकेदारों की प्रारम्भिक राशि	257368	1564208
ठेकेदारों द्वारा जमा प्रतिभूति	176890175	177631123
अतिरिक्त लेनदार	2118427593	2394868930
कर्मचारियों द्वारा जमा प्रतिभूति	8070	8070
अदा करने योग्य खर्चे	10781994	10706296
जमा करने योग्य कटौतियां	3880768	4002985
आबंटियों की अतिरिक्त जमा राशि	1443130	1443130
कर्मचारियों को देय खर्च	3924017	789430
पूंजीगत लागत पर देय खर्च	448480766	464320585
पंजीकृत प्रार्थियों को देने योग्य ब्याज	20598563	22722919
कालोनियों के रख रखाव पर देय खर्च	18681249	10261982
जी. एस. टी. देय	42784267	69655687
ठेकेदारों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति	55887845	102799845
बी) प्रावधान		
संदिग्ध एवं डूबे हुए खर्चो का प्रावधान	344841	344841
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	76335690	90315578
आयकर का प्रावधान	99404436	152161372
कुल जोड़	**5587373503**	**5983995803**

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका – 5

स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2019 तक का विवरण (मुख्यालय)

(आंकड़े रूपये में)

विवरण		घटा मूल्य 1.4.2018	वर्ष के दौरान 1.4.2018 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2018 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2019 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिरावट	घटा मूल्य 31.3.2019
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	2035727	27500	74000	0	2137227	210023	1927204
आफिस का समान	15	383428	0	0	0	383428	57514	325914
बिजली का सामान	15	992754	264400	72310	0	1329464	193996	1135468
साईकिल	15	8015	0	0	0	8015	1202	6813
स्टाफ कार	15	3662335	0	949636	103000	4508971	605123	3903848
किताबें	15	23647	0	3170	0	26817	3785	23032
कम्प्यूटर	40	2910130	212546	665791	0	3788467	1382229	2406238
कुल (₹)		**10016036**	**504446**	**1764907**	**103000**	**12182389**	**2453872**	**9728517**
टेक्नीकल (₹)								
तालिका 5 (क) के अनुसार		**209381930**	**306357**	**121700**	**22040**	**209787947**	**16941168**	**192846779**
सकल जोड़		**219397966**	**810803**	**1886607**	**125040**	**221970336**	**19395040**	**202575296**

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 5क

स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2019 तक का विवरण (टेकनीकल)

विवरण		घटा मूल्य 1.4.2018	वर्ष के दौरान 1.4.2018 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2018 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2019 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिरावट	घटा मूल्य 31.3.2019
1. भूमि								
क) आफिस	0	384056				384056	0	384056
ख) विश्राम गृह	0	85540				85540	0	85540
ग) आवास भवन	0	318000				318000	0	318000
घ) स्टाफ क्वार्टर	0	11758448				11758448	0	11758448
ड) विश्वकर्मा संस्थान	0	25200000				25200000	0	25200000
2. ईमारत								
क) आफिस	10	4480906				4480906	448091	4032815
ख) विश्राम गृह	10	1013467				1013467	101347	912120
ग) आवास भवन	10	5187273			22040	5165233	516523	4648710
घ) स्टाफ क्वार्टर	5	8166805				8166805	408341	7758464
ड) कार्यालय खण्ड और होस्टल बिल्डिंग	10	49215772				49215772	4921577	44294195
च) विश्वकर्मा संस्थान	10	100693600				100693600	10069360	90624240
3. फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	1120728	165314	24750		1310792	129842	1180950
4. आफिस का सामान	15	81305				81305	12196	59109
5. बिजली का सामान	15	650409	66330			716739	107510	609229
6. साईकिल	15	2521				2521	378	2143
7. स्टाफ कार	15	922708				922708	138406	784302
8. किताबें	15	7344				7344	1102	6242
9. कम्प्यूटर	40	93048	74713	96950		264711	86495	178216
कुल जोड़ (₹)		**209381930**	**306357**	**121700**	**22040**	**209787947**	**16941168**	**192846779**

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 6 चालू परिसम्पत्तियां

(राशि रूपये में)

विवरण		31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
कालोनियों की कीमत			
लागत	3281254181	777962207	1504709452
घटांए : प्राप्ति	2503291974		
विभिन्न देनदार			
-मकानों के आबटियों से		3190519801	2748734892
-दुकानों और प्लाटों के आबटियों से		90049185	130358891
-अन्य		79380622	91739544
ज़मीन की लागत			
-दी गई कीमत		2317790199	2352679858
-ज़मीन की लागत जो कि अभी स्कीमों पर बांटनी है		1504650132	1634497374
मकान निर्माण सामग्री			
-डिवीजनों से		18914931	27097320
-ठेकेदारों के पास		70224790	71313102
-भूमि मुआवज़ा देय/प्राप्ति		1066960889	1068629977
-मिलने वाला ब्याज		760403	458110
नकद और बैंक जमा			
-नकद मुख्यालय में		30	20
-नकद डिवीजन्स में			
बैंक जमा			
-मुख्यालय में		238951130	54492940
-डिवीजन्स में		35629784	77333527
फिक्सड डिपोजिट (प्राप्तियां)		5000000	10275000
फिक्सड डिपोजिट (स्टाफ सिक्योरिटी)		1800	1800
कर्मचारियों के अग्रिम पर अर्जित ब्याज		4032447	4266267
बिना बिके हुए मकान		8088647442	7587701992
पहले अदा किए हुए खर्चे		2057470	2484865
आर्बीटरेशन अवार्ड वसूली/देय राशि		6146483	6296619
न्यायालय में लंबित केसों से वसूली/देय राशि		755774	705774
मिलने वाला किराया		2652781	532109
कुल जोड़(₹)		**17501088300**	**17374309433**

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपये में)

विवरण	31.3.2019 के आंकडें	31.3.2018 के आंकड़े
सुरक्षित अग्रिम		
-ठेकेदारों को अग्रिम	24370934	15089080
-कर्मचारियों को वाहन के लिए अग्रिम	1150781	1330831
-कर्मचारियों को दूसरे उद्देश्यों के लिए अग्रिम	5001570	3908816
-विभिन्न विभागों में जमा प्रतिभूमि	1700531	950531
असुरक्षित अग्रिम		
-कर्मचारियों को अग्रिम	1600390	876249
-सप्लाईकर्त्ताओं को अग्रिम	8946869	7759087
-विभिन्न कार्यों के लिए अग्रिम	103577120	62841007
आयकर		
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2007-08	96340	1555124
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2008-09	7638000	7638000
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2009-10	278720	278720
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2010-11	185418	185418
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2011-12	873520	873520
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2012-13	30661228	27173850
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2013-14	10280611	6617017
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2014-15	145899	145899
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2015-16	3000000	80417769
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2017-18	31167380	0
-सेवा कर विवादित/वसूली योग्य	264876136	264876136
-आयकर वर्ष 2017-18	0	181800000
-विभिन्न स्त्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2017-18	0	1528752
-अग्रिम आयकर वर्ष 2018-19	137142000	0
-विभिन्न स्त्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2018- 19	2258383	0
कुल जोड़	**634951830**	**678845806**

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

(31.03.2019 के तुलनपत्र व आय और व्यय लेखा का वित्तीय भाग)

1. खाते संस्था के इतिहासिक लागत में वाणिज्यिक विधि के आधार पर बनाये गये है। वित्तीय लेखे प्रचलित लेखा नियमों के आधार पर बनाये गये हैं।

2. लेखांकन नीतियां जो कि विशेष रूप से संदर्भित नही की गई, वह आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप है।

3. आवश्यकता अनुसार पिछले साल के आंकड़ों को इकट्ठा/समायोजन कर लिया गया है।

4. आयकर कानून 1961 के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों का ह्रास मूल्य नीति के अनुसार अवमूल्यन किय गया है। किसी भी प्रकार की परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान पुनर्निधारक नहीं किया गया है।

5. मकानों की बिक्री का लाभ व हानि लागत मूल्य व बिक्री मूल्य के अन्तर को दर्शाता है।

6. वित्तीय विवरण में ऋण एवं अग्रिम, देनदारियां, लेनदारिंया, जमा प्रतिभूतियां, कर्मचारियों को देय राशि, आबंटियों का पंजीकरण व अतिरिक्त जमा राशि, अग्रिम राशि ठेकेदारों की जमा प्रतिभूतियां और दूसरे नाम व जमा राशियां जो बिना पुष्टि के दर्शाई गई है, उनकी वसूली उसी मूल्य पर ही मानी जाएगी अगर वो सामान्य व्यवस्था में वसूल हो जाती है।

7. बोर्ड की कालोनियों/स्थानों पर होने वाले खर्चों को पूंजी खाते पर देय खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

8. अवकाश देय राशि का प्रावधान प्रत्येक कर्मचारी के देय अवकाश के अनुसार किया गया है।

9. आई.सी.ऐ. आई. द्वारा जारी ए. एस. 7 में अंकित ठेका पद्धति का खाते बनाने में अनुसरण किया गया है।

10. बिना बिके हुए मकानों को उनकी मूल लागत पर दर्शाया गया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान सरेन्डर मकानों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है।

11. आवास बोर्ड के विरुद्ध 52706821.00 रुपये का घोषित आर्बीटरेशन एवार्ड अभी निर्णत नहीं है। इसी प्रकार 12135244.00 का बोर्ड के पक्ष में एवार्ड भी निर्णीत नहीं है। ये राशियां तुलन पत्र में नहीं दिखाई गई हैं।

12. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार कर योग्य लाभ पर आयकर का प्रावधान किया गया है।

13. हुडको, एन.एच.बी. और पी.एन.बी. से अवधि ऋण बोर्ड की कोई भी संपत्ति बंधक रखे बिना, हरियाण सरकार की गारंटी पर लिया है।

14. बोर्ड ने जीवन बीमा निगम की ग्रेच्युटी फण्ड की मास्टर पालिसी को अपनाया है, जिससे बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा निवृति पर संविधानिक दायित्व की पूर्ति की जा सके। 31.3.2019 को जीवन बीमा निगम ने कुल

64716590.00 रुपये का शुद्ध बकाया प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो कि गेच्युटी का भुगतान करने के पश्चात् दर्शाया गया है।

15. बोर्ड का संस्थागत ढांचा व कार्यकारी नीतियां हरियाणा सरकार की मकान व भलाई की योजनाओं को मध्यनजर रखते हुए बनाई गई है।

16. पैसों के आंकड़े को रुपयों में परिवर्तित कर दिया है।

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस
चार्टड एकाऊटैंटस
(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं॰ 002783 एन)

(सी॰ ए॰ राजेश मल्होत्रा)
पार्टनर
एम॰ नं॰ 090661

हस्ता. **सन्दीप जोशी** **अध्यक्ष**	**हस्ता.** **डॉ. शालीन, (आई.ए.एस.)** **मुख्य प्रशासक**	**हस्ता.** **राजेश कुमार गुप्ता** **मुख्य लेखा अधिकारी**

स्थान : पंचकूला
दिनांक : 23.10.2019